# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-127/2017-18/

दिनांक : /02/2018

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

विकास खण्ड- सल्ट

जिला- अल्मोड़ा

विषय : विकास खण्ड- सल्ट का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 04 प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 127/2017-18/ दिनांक: /02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3 -जिला पंचायतराज अधिकारी, सल्ट

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय

निकाय

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एल.एस. लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री डी.एस. खाती, लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रभाकर दुबे, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक 22/09/2015 से 30/09/2015 सम्पादित की गयी थी। जिसमें वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **-**

   **1.** उपरोक्त यदि क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

   2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या-94

   (ब) भौगोलिक श्रेत्र.--

   (स) जनसंख्या- 447477

   3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या- 36

   4. आयोजित बैठकों की संख्या-04

   5. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या-08

   6. कर्मचारियों की संख्या-14

   7. इकाई की सम्पत्तियां-

   8. इकाई के अपने प्रोजेक्ट-

   9. योजनाओं की संख्या :-

   10. (अ) सामाजिक संरक्षा-

   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

   लाभार्थियों की संख्या (द) :

   11. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:

   12. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

   (अ) सामान्यः -

   (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलगअलग- दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

   13. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः

ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एंव व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

| वर्ष | प्राम्भिक शेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | अवशेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | अधिक्य **(+)** | बचत **(-)** | अधिक्य | बचत |
| 2014-15 | 0 | 152.28 | 76.35 | 76.35 | 508.20 | 437.92 | 0 | 0 | 222.56 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 222.56 | 85.44 | 85.44 | 725.67 | 766.55 | 0 | 0 | 181.68 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 181.68 | 106.48 | 106.48 | 949.59 | 963.58 | 0 | 0 | 167.69 | 0 |

विकास खण्ड - सल्ट

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | अंतिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | मनरेगा | 0 | 402.49 | 402.49 | 0 |
| 2015-16 | बी.ए.डी.पी. | 3.28 | 15.82 | 14.29 | 4.81 |
| 2016-17 | मनरेगा | 0 | 647.46 | 647.46 | 0 |
| 2016-17 | बी.ए.डी.पी. | 4.81 | 10.2 | 12.37 | 2.45 |

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1 निष्फल व्यय- धनराशि रु. 12.96 लाख।

निदेशक पंचायती राज के पंज सं. 195 दिनांक 27.11.2012 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को केन्द्रीय/राज्य वित्त की संस्तुतियों के वुम में प्राप्त हो रही धनराशि के शीघ्र उपयोग व अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने हेतु धनराशि व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये थे। विधायक निधि योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 2.4 में भी स्पष्ट किया गया था कि कार्यों की प्रकृति के अनुसार कभी-2 कार्यो के निष्पादन में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता हैं।

विकास खण्ड सल्ट के अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि विभिन्न योजनान्तर्गत अधोलिखित कार्य विगत पांच से भी अधिक वर्षो से मार्च 2017 तक अपूर्ण थे-

(धनराशि रु. लाख में)

| क्रमांक | योजना | कार्य का नाम | स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राज्य वित्त | जागड़ी पेयजल मरम्मत | 2011-12 | 1.85 | 0.47 |
| 2 | क्षेत्र पंचायत विकास निधि | नान्हणकोटा में शौचालय निर्माण | 2010-11 | 0.62 | 0.57 |
| 3 | विधायक निधि | खत्ता मानिला अ.जा.बस्ती जन मिलन | 2004-05 | 1.25 | 1.13 |
| 4 | ,, | ग्राम पंचायत चांच इजराइल बाखली में जनमिलन केन्द्र निर्माण | 2010-11 | 1.50 | 0.51 |
| 5 | ,, | अ.जा.ब. कालीगांव जन मिलन केन्द्र निर्माण | 2010-11 | 1.50 | 1.01 |
| 6 | ,, | पणचूरा में खुशाल सिंह पुजआन सिंह के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण | 2010-11 | 0.30 | 0.22 |
| 7 | ,, | लुहेड़ा अ.जा.ब.जनमिलन केन्द्र | 2010-11 | 1.50 | 1.12 |
| 8 | ,, | बाड मतला के तोक विचला बाड़ में पंचायत घर निर्माण | 2010-11 | 2.00 | 1.88 |
| 9 | ,, | ग्राम पल्लागांव को पेयजल योजना निर्माण | 2011-12 | 2.10 | 1.57 |
| 10 | ,, | अ.जा.बस्ती गुलार में बारात घर का | 2011-12 | 2.00 | 1.46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्माण | | | |
| 11 | ,, | धनईगाँव बघनगढ़ में पुलिया निर्माण | 2011-12 | 2.00 | 1.50 |
| 12 | ,, | घौराड़ी बलदेव की दुकान से लोहार कोट खीम सिंह के घर तक सी.सी. मार्ग | 2011-12 | 1.0 | 0.93 |
| 13 | ,, | गोलूथान से अ.जा.ब. जमीरखेत को पेयजल योजना निर्माण | 2011-12 | 0.80 | 0.60 |
| | | योग | | | 12.96 लाख |

विधायक निधि योजना के समस्त कार्य पूर्ववर्ती विधान सभा अवधि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित थे जबकि राज्य वित्त/क्षेत्र पंचायत विकास निधि हेतु धनराशि भी सम्बन्धित वर्षो में ही उपलब्ध करा दी जाती है। अतः उक्त कार्यों हेतु विकास खण्ड के पास धनराशि स्वीकृत वर्ष से ही उपलब्ध थी चूँकि विभिन्न कार्यो की तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त योजनाओं को प्रारम्भ किया गया था बावजूद इसके उक्त कार्यो को विगत पांच से भी अधिक वर्षो से पूर्ण नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरुप न केवल स्थानीय जनता को योजा का लाभ प्राप्त हो सका बल्कि योजना पर किया गया व्यय भी निष्फल रहा।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि टोलीनायनक की उदासीनता व माप व फोटोग्राफ प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नही हो पाये। इस सम्बन्ध में बार बार कार्यादेश निर्गत व्यक्ति कर्मचारी को कार्य पूर्ण करने हेतु लिखा गया हैं।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि टोली नायक के समय से कार्य न करने, माप व फोटो ग्राफ प्राप्त न होने का पूर्ण उत्तर दायित्व विकास खण्ड का है। समय समय पर कार्य पूर्ण न होने से जहाँ एक ओर योजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, वही दूसरी ओर कार्यो के लम्बी अवधि तक अपूर्ण रहने से धन का अपव्यय होता है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 आगणन के विपरीत धनराशि, रु. 27.10 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन।

निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु सबंन्धित कार्यों के आगणन तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्यों का निष्पादन कराया जाना चाहिए।

विकासखण्ड के द्वारा उपलब्ध कराई गयी मनरेगा निधि की पूर्ण कार्यों की सूची के अवलोकन मे पाया गया कि अधोलिखित कार्यों का सम्पादन उनके आगणन के अनुसार नहीं कराया गया थाः-

(धनराशि लाख में)

| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम/(कोड) | आगणित श्रमिक व्यय | आगणित सामाग्री व्यय | वास्तविक श्रमिक व्यय | वास्तविक सामग्री व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अछरौन | बाढ़ नियंत्रण(3507005002/FP/158012) | .60 | .40 | .63 | 0 |
| 2 | कालीगाँव | बाढ़ नियंत्रण(3507005002/FP/158012) | .60 | .40 | .56 | 0 |
| 3 | अछरौन | संपर्क मार्ग(3507005002/RC/17980) | .63 | .27 | .82 | 0 |
| 4 | बणकोटा | संपर्क मार्ग(3507005005/RC/19963) | .60 | .40 | 44 | 0 |
| 5 | बड़ेत | संपर्क मार्ग(3507005009/RC/18303) | .63 | .27 | 48 | 0 |
| 6 | डांग | संपर्क मार्ग(3507005034/RC/30210) | .90 | .60 | 1.06 | 0 |
| 7 | कूपी | संपर्क मार्ग(3507005078/RC/27034) | .60 | .40 | .63 | 0 |
| 8 | कोटली मल्ली | संपर्क मार्ग(3507005080/RC/17169) | .63 | .27 | .50 | 0 |
| 9 | कोटली मल्ली | संपर्क मार्ग(3507005080/RC/33763) | .60 | .40 | .03 | 0 |
| 10 | मैठानी | संपर्क मार्ग(3507005089/RC/28763) | 1.08 | .72 | 1.07 | 0 |
| 11 | सबोली रौतेला | संपर्क मार्ग(3507005121/RC/23097) | 1.08 | .72 | .73 | 0 |
| 12 | तराड़ी | संपर्क मार्ग(3507005128/RC/19959) | .60 | .40 | .84 | 0 |
| 13 | भवाली | जलसंरक्षण(3507005018/WC/2008009874) | .60 | .40 | .60 | 0 |
| 14 | बिरलगाँव | RTWB(3507005023/WH/5934) | .60 | .40 | .05 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2016-17 | | | | | | |
| 1 | गेठिया | बाढ़ नियंत्रण(3507005002/FP/158012) | .60 | .40 | .60 | 0 |
| 2 | कोटली मल्ली | भूमि विकास(3507005080/LD/364487) | .60 | .40 | .16 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | तोल्यों | भूमि विकास(3507005136/LD/364482) | .60 | .40 | .10 | 0 |
| 4 | थात तराड़ | RTWB(3507005134/WH/6556) | .60 | .40 | .54 | 0 |
| 5 | बिनौली | जलसंरक्षण(3507005022/WC/2008019797) | .43 | .30 | .71 | 0 |
| 6 | डभरा | जलसंरक्षण(3507005031/WC/2008022306) | .43 | .30 | .71 | 0 |
| 7 | घांघली | जलसंरक्षण(3507005052/WC/2008022155) | .43 | .30 | .72 | 0 |
| 8 | थात तराड | जलसंरक्षण(3507005134/WC/2008019820) | .43 | .30 | .41 | 0 |
| 9 | थात तराड | जलसंरक्षण(3507005134/WC/2008020056) | .49 | .26 | .61 | 0 |
| 10 | उजराड़ | जलसंरक्षण(3507005138/WC/2008021553) | .43 | .30 | .70 | 0 |
| 11 | बमनगाँव | संपर्क मार्ग(3507005006/RC/20081) | .60 | .40 | .72 | 0 |
| 12 | डभरा सौराल | संपर्क मार्ग(3507005032/RC/33773) | .60 | .40 | .53 | 0 |
| 13 | कोटली मल्ली | संपर्क मार्ग(3507005080/RC/17022) | .63 | .27 | .58 | 0 |
| | | योग | **16.62** | **10.48** | **15.58** | **0** |

उक्त निर्माण कार्यों पर आगणन के अनुसार निर्माण सामग्री मद मे धनराशि रु. 10.48 लाख का व्यय किया जाना था जबकि विकास खण्ड द्वारा उक्त कार्यों पर सामग्री मद मे कोई व्यय नहीं किया गया था अतः सामग्री मद मे आगणन एवं कार्यान्वयन मे धनराशि रु. 10.48 लाख की भिन्नता थी जो आगणन एवं निर्माण कार्यान्वयन मे अंतर को प्रदर्शित करता है।

इसे इंगित किए जाने पर विकास खंड के द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया की भविष्य मे निर्माण कार्य आगणन के अनुसार कराये जाएंगे।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 धनराशि रु. 12.43 लाख के कार्यों का नियम विरुद्ध निष्पादन।

उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र निधि योजना वर्ष 2012-13 में सीमान्त एवं पिछड़े विकास खण्डों में स्थानीय आधार भूत अवस्थापना संरचनाओ और विकास सम्बन्धी अन्य मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत अनाच्छादित कड़ियों को जोड़ने के उद्देश्य से की गयी थी। योजना अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास खण्ड द्वारा छः कार्यो का निष्पादन योजनान्तर्गत कराया गया था जिसमें से तीन कार्य तीन लाख से अधिक लागत के थे जिनका विवरण निम्नवत् है।

(धनराशि रु. लाख में)

| क्रमांक | कार्य का नाम | विभागीय अंश | मनरेगा अंश | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मानक चिकित्सालय की चाहर दीवारी निर्माण | 5.00 | शून्य | 5.00 |
| 2 | रेवाखाल सौंकार वाखली से कुवौली को पहुँच मार्ग निर्माण | 3.73 | 2.27 | 6.00 |
| 3 | मुख्य सड़क से काठ की नाँव तथा मुख्य सड़क से दन्यूड़ा को पहुँच मार्ग निर्माण | 3.70 | 2.30 | 6.00 |
| | योग | 12.43 | 4.57 | 17.00 |

उक्त कार्य विकास खण्ड द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से नही कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विकास खण्ड द्वारा भविष्य में इस सम्बन्ध मे ध्यान रखे जाने की बात कहीं गयी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि विकास खण्ड को कार्यो का निष्पादन शासकीय निर्देशानुसार कराया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-4 इकाई के द्वारा निर्माण कार्यों से रु. 20610/- के लेबर सेस की कटौती न किये जाना।

उत्तराखंड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा देहरादून के आदेशानुसार भवन एंव अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम मे ठेकेदारों के माध्यम से, जिनमे 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों पर 1% लेबर सेस की कटौती की जाएगी, इस हेतु कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष प्रकीर्ण वर्ग उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा शैड्यूल ऑफ रेट्स मे 1% का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय विकास खण्ड सल्ट के निर्माण कार्यों की पत्रवालियों के अवलोकन मे पाया गया कि इकाई के द्वारा दैवीय आपदा के रु. 20.61 लाख के 09 निर्माण कार्य कराये गए हैं जिस पर 1% लेबर सेस रु. 20610/- की कटौती नहीं की गयी हैं।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासनादेश के अभाव मे कटौती नहीं की गयी है भविष्य मे अनुपालन किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि लेबर सेस की कटौती संबन्धित ठेकेदारों से नही की गयी है जो कि शासकीय धन की हानी है।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

## STAN

प्रस्तर-1 मनरेगा निधि के अंतर्गत 234 निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

मनरेगा निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जिससे कि उसका लाभ तत्परता के साथ जनता को दिया जा सके।

कार्यालय की मनरेगा निधि की पत्रावली की जांच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के 41 एवं 2016-17 के 193 निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया कि कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु कार्यवाही गतिमान है अपूर्ण कार्यों को एक माह मे पूर्ण करवा लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यालय के द्वारा ही सामान्य कार्य हेतु तीन माह एवं पक्के कार्य हेतु छः माह का समय दिया गया हैं।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

**भाग-III**

**(क)** परिचयात्मकः कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी**,** क्षेत्र पंचायत**,** सल्ट**,** जनपद**-** अल्मोड़ा के वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के लेखा अभिलेखों संप्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ., श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा दिनांक **04-11-2017** से **14-11-2017** तक श्री एस.के. त्यागी, व.ले.प.अ. **के पर्यवेक्षण में** संपादित की गयी ।

**(ख)** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 25/2015-16 | 01 | 01 से 07 |

**(ग)** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| स्था**/.**नि.प्रतिवेदन-25/2015-16 | -- | इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई \| | इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका \| | |

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-**V**

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्र.सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री जसवन्त सिंह पंवार | 16.03.15 से 14.05.15 |
| 2. | श्री के एन बुढलाकोटो | 15.05.15 से 08.12.15 |
| 3. | श्री जसवन्त सिंह पंवार | 09.12.15 से 29.06.17 |
| 4. | श्री खीमानन्द बुढलाकोटो | 30.06.17 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-**248195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय